UPPG040298822021

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/प्रथम एफ०टी०सी० , प्रतापगढ़।

राज्य बनाम नीरज कुमार मौर्य आदि

22.11.2021

जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्ता कलावती देवी की ओर से मु०अ०सं०- 25/2021 धारा-323,506 भा०द०सं० थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता व सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्या के अनुसार जुर्म गंभीर प्रकृति का अजमानतीय है।

प्रस्तुत प्रकरण मे इस आशय का कोई पर्याप्त व सन्तोषप्रद कारण नही दर्शाया जा सका है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जमानत पर मुक्त होने की दशा में अभियुक्ता, अभियोजन साक्षी अथवा साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की टैम्परिंग करेगा अथवा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही रहेगा। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत हेतु आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्ता कलावती देवी द्वारा मु०/- तीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

सिविल जज (जू०डि०)/प्रथम एफ०टी०सी० ,

प्रतापगढ़।